

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1372/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री विजय पूनिया।
लोक अभियोजक श्री अतुल शर्मा।

:: आदेश ::

13.05.2019

नोटिस जारी हो।

योग्य लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या-2 व 3 का नोटिस आगामी चार सप्ताह
में वापसी योग्य किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-